बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

दिनांक 31 मार्च 2013 को - भारतीय रिजर्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे (बेसल II) के अनुसार स्तंभ 3 के अधीन प्रकटीकरण

टेबल डीएफ-1: कार्यान्वयन का विषय - क्षेत्र

क. प्रकटीकरण का ढांचा देना बैंक पर लागू होता है.

ख. बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

ग. बैंक का किसी बीमा कंपनी में निवेश नहीं है.

घ. बैंक की निम्नलिखित घरेलू कंपनियों में 20% या उससे अधिक शेयरधारिता है.

Disclosures under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India – as on 31st March 2013

Table DF-1: Scope of Application

a. The Framework of Disclosures applies to Dena Bank.

b. Bank has no Subsidiaries.

c. Bank does not have any investment in an insurance entity.

d. Bank is having 20% or more stakes in the following domestic entities.

क्रम सं Sl. No.	कंपनी का नाम Name of Entity	स्वामित्व की सीमा Extent of Ownership
1	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक Durg Rajnandgaon Gramin Bank	35.00%
2	देना गुजरात ग्रामीण बैंक Dena Gujarat Gramin Bank	35.00%

टेबल डीएफ-2. पूंजी ढ़ांचा

क. बैंक की टीयर I पूंजी में चुकता इक्विटी पूंजी, नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आई पी डी आई) तथा विभिन्न प्रकार की आरक्षितियां (पुन: मूल्यांकन आरक्षितियों को छोडकर) शामिल हैं.

टीयर II पूंजी में पुन: मूल्यांकन आरक्षित निधियां, सामान्य हानि आरक्षित एवं मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, उच्च टीयर II पूंजी और निम्न टीयर II पूंजी शामिल हैं.

बैंक ने नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) (टीयर 1 पूंजी) एवं उच्च टीयर 2 निम्न टीयर 2 बाण्डस (टीयर 2 पूंजी) विभिन्न अवधियों के जारी किए हैं । विवरण निम्नानुसार है

Table DF-2 : Capital structure

a. The Tier 1 capital of the Bank consists of paid up equity capital, Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) and various types of reserves (excluding Revaluation Reserves).

Tier 2 capital consists of Revaluation Reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier 2 Capital and Lower Tier 2 capital.

The Bank has issued IPDIs (Tier 1 capital) and Upper Tier 2 and Lower Tier 2 Bonds (Tier 2 capital) at different periods. The details are as under:

नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत : Innovative Perpetual Debt Instruments:

टीयर I स्थायी बाण्ड श्रृंखला Tier I Perpetual Bond Series I

आवंटन की तिथि Date of Allotment	बाण्ड राशि (₹ करोड़ में) Bond Amount (₹ In Crores)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	मांग विकल्प Call Option	विक्रय विकल्प Put Option None	दर Rating
31.12.2007	125.00	10.05 %	स्थायी Perpetual	10 वर्षो के बाद एवं प्रत्येक ब्याज भुगतान की तिथि के बाद (भारिबैं के पूर्व अनुमोदन के साथ) After 10 years & every interest payment date thereafter (with prior approval of RBI)	कुछ नहीं None	क्रिसिल एए/स्टेबल इण्ड ए- CRISIL AA/Stable IND A-

टीयर I स्थायी बाण्ड श्रृंखला II Tier I Perpetual Bond Series II

आवंटन की तिथि Date of Allotment	बाण्ड राशि (करोड़ में) Bond Amount (₹ In Crores)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	मांग विकल्प Call Option	विक्रय विकल्प Put Option	दर Rating
28.05.2009	125.00	9.00%	स्थायी Perpetual	10 वर्षो के बाद (भारिबैं के पूर्व अनुमोदन के साथ) After 10 years (with prior approval of RBI)	कुछ नहीं None	क्रिसिल एए/स्टेबल केयर ए CRISIL AA/Stable CARE AA

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

उच्च टीयर II पूंजी Upper Tier 2 Capital:

आवंटन की तिथि Date of Allotment	बाण्ड राशि (₹ करोड़ में) Bond Amount (₹ In Crores)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	मांग विकल्प Call Option	विक्रय विकल्प Put Option	दर Rating
30.09.2006	300.00	9.20%	180 माह months	10 वर्षो के बाद (भारिबैं के पूर्व अनुमोदन के साथ) After 10 years (with prior approval of RBI)	कुछ नहीं None	क्रिसिल एए/स्टेबल इण्ड ए- CRISIL AA/Stable IND A -

निम्न टीयर II पूंजी : Lower Tier 2 Capital:

आवंटन की तिथि Date of Allotment	बाण्ड राशि (₹ करोड़ में) Bond Amount (₹ In Crores)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	मांग विकल्प Call Option	विक्रय विकल्प Put Option	दर Rating
31.03.2004	150.00	6.20%	109 माह months	कुछ नहीं None	कुछ नहीं None	केयर एए+ CARE AA+
31.03.2005	210.00	7.30%	109 माह months	कुछ नहीं None	कुछ नहीं None	केयर एए+ CARE AA+
25.03.2008	106.00	9.25%	122 माह months	कुछ नहीं None	कुछ नहीं None	क्रिसिल एए+/स्टेबल इण्ड एए- CRISIL AA+/Stable IND AA -
30.09.2008	300.00	11.20%	127 माह months	कुछ नहीं None	कुछ नहीं None	क्रिसिल एए+/स्टेबल CRISIL AA+/Stable
29.01.2009	200.00	9.50%	120 माह months	कुछ नहीं None	कुछ नहीं None	क्रिसिल एए+/स्टेबल केयर एए+ CRISIL AA+/Stable CARE AA+
25.06.2012	850.00	9.23%	180माह	10 वर्षो के बाद (भारिबैं के अनुमोदन के साथ)	कुछनहीं	क्रसिल एए+/स्टेबल केयर एए+ CRISIL AA+/Stable CARE AA+

ख. बैंक की टीयर I पूंजी निम्न प्रकार है:

b. The Tier 1 capital of the bank is as under: **(₹ करोड़ में)(₹in Crore)**

कुल टीयर I पूंजी Total Tier I Capital		4851.67
उसमें से Out of which		
प्रदत्त पूंजी Paid up capital		350.06
आई पी डी आई IPDI		250.00
जोडे आरक्षित Add :Reserves		
पूंजी (एचटीएम) आरक्षित Capital (HTM) Reserve	119.33	
सांविधिक आरक्षित Statutory Reserve	1411.76	
विशेष आरक्षित Special Reserve	197.00	
शेयर प्रीमियम Share Premium	883.01	
राजस्व आरक्षित निधि Revenue Reserve	1948.25	
कुल आरक्षितियां Total Reserves		4559.35
घटाएं ह्रास Less : Deductions		
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets	262.36	
अन्य अर्मूत आस्तियां Other Intangible Assets	21.22	
समानुषंगी में निवेश Investment in Subsidiaries	24.16	
कुल कटौतियाँ Total Deductions		**307.74**

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

ग. बैंक की टीयर II पूंजी निम्नलिखित है:

c. The Tier 2 capital of the bank is as under: (₹ करोड़ में)(₹in Crore)

कुल टीयर 2 पूंजी Total Tier 2 Capital		**2521.40**
संपति का पुनर्मूल्यांकन Property Revaluation	384.57	
उच्च टीयर II पूंजी के लिए पात्र ऋण पूंजी Debt Capital Eligible for Upper Tier II Capital	300.00	
सामान्य प्रावधान General Provisions	353.72	
अप्रत्याभूत सावधि ऋण Subordinated Term Debt	1498.00	
एनपीए आस्तियों की बिक्रीपर अतिरिक्त प्रावधान Excess Provision on sale of NPA Assets	9.27	
सकल टीयर 2 पूंजी Gross Tier 2 Capital		**2545.56**
घटायें: कटौतियां Less : Deductions		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश Investment in Subsidiaries	24.16	
कुल कटौतियां Total Deductions		**24.16**

घ. उच्च टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए ऋण पूंजी लिखत हैं :

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II Capital are:

	₹ करोड़ में ₹ in crore
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	300.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	शून्य Nil
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	300.00

ङ निम्न टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखत हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier II capital are:

	(₹ करोड़ में) (₹ in crore)
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	1816.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	850.00
वर्ष के दौरान छूट Discounted during the year	318.00
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	1498.00

च. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए दो ग्रामीण बैंकों में बैंक की शेयर धारिता के लिए ₹ 24.16 करोड़ टीयर II पूंजी से घटा दिये गये हैं.

f. For computation of Capital Adequacy, a deduction of ₹ 24.16 crore has been made from Tier II Capital towards bank's stake in the 2 Gramin banks.

छ. कुल पात्र पूंजी में शामिल है:

g. The total eligible capital comprises of:

	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
टीयर I Tier I	4851.67
टीयर II Tier II	2521.40
कुल Total	7373.07

टेबल डीएफ- 3. पूंजी पर्याप्तता :

बैंक की गतिविधियां मुख्य रुप से आर्थिक एवं बाजार की स्थितियों के कारण उत्पन्न जोखिमेां हेतु पूंजी की आवश्यकता एक नियामक आवश्यकताओं का कार्य है. बैंक का पूंजी आयोजन आर्थिक स्थितियों के परिवर्तन के समय तथा आर्थिक मंदी के समय भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करता है. इस प्रक्रिया में बैंक निम्न को मान्यता देता है

- बैंक को चालू पंजी की आवश्यकता; एवं
- निकट भविष्य में संभावित आस्तियों के अधिग्रहण को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता .

Table DF-3 : Capital Adequacy

The capital requirement is a function of the regulatory requirements, the risks arising from bank's activities mainly due to economic and market conditions. Capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In this process, the Bank recognizes:

- Current capital requirement of the bank; and
- Capital requirements to sustain projected asset acquisition in near future.

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता की समीक्षा तथा पूंजी आयोजना 3 - 5 वर्षों के लिए मध्यम स्तर की योजनाओं के आधार पर करता है और उसकी वार्षिक रुप में समीक्षा करता है. वार्षिक समीक्षा के आधार पर बैंक टीयर 1 या टीयर 2 की पूंजी बैंक के निदेशक मंडल की अनुमति से जुटाता है. बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है.

बैंक ने नयी पूंजी पर्याप्तता के ढ़ांचे के अनुपालन एवं सीआरएआर की गणना के लिए साख जोखिम हेतु मानक अप्रोच, परिचालन जोखिम के लिए आधारसूचक अप्रोच एवं बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अप्रोच अपनाई है.

बैंक की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा पूंजी का वास्तविक स्तर एवं पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2013 को निम्न प्रकार है:

The Bank reviews its capital requirements and capital strategy based on medium range business plans for 3 – 5 years and reviewed annually. On the basis of the annual review, the bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

For compliance with the New Capital Adequacy Framework, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The Bank's Minimum Capital Requirement and Actual Level of Capital & Capital Adequacy as on 31.03.2013 are as under:

(₹ करोड़ में)

(i)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्कता** **Capital requirement for Credit risk**	**4983.46**
	ऋण जोखिम के लिये पूंजी की आवश्कता Capital requirement for Credit Risk	**4983.46**
	प्रतिभूतिकरण जोखिम Securitisation exposures	0.00
(ii)	**बाजार जोखिम के संबंध में पूंजी की आवश्यकता** **Capital requirement for Market risk in respect of:**	**503.65**
	ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for Interest Rate Risk	466.76
	विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for Foreign Exchange risk (including gold)	4.50
	इक्विटी जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for Equity Risk	28.25
	एफ.एफ.सी के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for FFC	4.14
(iii)	**परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता** **Capital requirement for Operational Risk:**	**327.95**
	बेसिक सूचक अप्रोच के अधीन परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for Operational Risk under Basic indicator approach	327.95
(iv)	**अन्य जोखिमों के लिए पूंजी की आवश्यकता** **Capital requirement for other Exposures**	**198.11**
	बैंक की जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता **Capital requirement for exposures to bank**	20.92
	अचल आस्तियों के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for Fixed Assets	99.07
	अन्य आस्तियों के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for Other Assets	52.90
	आकस्मिक मदों के संबंध में जहां बैंक की देयता है, के लिए पूंजी की आवश्यकता Capital requirement for items in respect of which bank is contigently liable	25.22
(v)	**कुल पूंजी Total Capital**	
	ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता Minimum Capital Requirement for Credit, Market & Operational Risk	6013.17
	कुल पात्र पूंजी की वास्तविक स्थिंति Actual Position of Total Eligible capital	7373.07

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

	पात्र टीयर I पूंजी Eligible Tier I Capital	4851.67
	पात्र टीयर II पूंजी Eligible Tier II Capital	2521.40
(vi)	**सी आर ए आर CRAR**	
	सी आर ए आर CRAR	11.03%
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर I पूंजी Tier I Capital to RWA	7.26 %
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर II पूंजी Tier II Capital to RWA	3.77 %

टेबल डी एफ-4 : साख जोखिम सामान्य प्रकटन

क. बैंक की ऋण आस्तियों के वर्गीकरण के लिए बैंक की नीति निम्न प्रकार हैं:

गैर निष्पादक आस्तियां (एन पी ए) : गैर निष्पादक आस्ति (एन पी ए) वह ऋण या अग्रिम है जिसमें :

1. किसी आवधिक ऋण के मामले में ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक बकाया रहती है
2. किसी ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण (ओ डी / सी सी) के मामले में खाता "अनियमित" बना रहता है,
3. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
4. अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहता है,
5. दीर्घावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है,

कोई भी ओ.डी. / सी.सी. खाता जिसमें बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से निरंतर अधिक रहती है उसे "अनियमित खाता" माना जाता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम है, लेकिन तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन की अवधि तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो या उस अवधि के लिए नामें डाली गई ब्याज की रकम के भुगतान के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त न हो तो वह खाते अनियमित माने जाते हैं.

किसी भी ऋण सुविधा में बैंक को देय कोई भी राशि "अतिदेय" हो जाती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को न किया जाय. बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

उप मानक आस्तियां

उप मानक आस्ति उसे माना जाता है जो कि 12 महीने या उससे कम अवधि तक एन पी ए रहा हो. वसूली के सभी उपाय उप मानक खातों पर भी लागू होते हैं. यदि संपूर्ण बकाया राशि की नकद वसूली की जाती है तो उस खाते का मानक श्रेणी में तुरंत उन्नयन किया जा सकता है. इसी प्रकार यदि किसी खाते को तकनिकी कारणों से एन. पी.ए. के रुप में वर्गीकृत किया गया है तो तकनिकी कारण का समाधान होने पर खाते का उन्नयन किया जायेगा.

Table DF- 4 : Credit Risk : General disclosures

a. The policy of the Bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

i. interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii. the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),

iii. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

iv. the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An od/cc account is treated as "out of order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as "out of order".

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank. Non Performing Assets of the Bank are further classified into three categories as under:

Sub-standard Assets:

A sub-standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdue is recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

संदिग्ध आस्तियां

यदि कोई खाता 12 महीने की अवधि तक उप मानक श्रेणी में रहता है तो उसे संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा. खातों के संबंध में जहां उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य बकाया राशि के 50 प्रतिशत से कम हो तो उन खातों को भी संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा. जिन उप मानक और संदिग्ध खातों का पुन: निर्धारण किया जाता है उनके ब्याज या मूलधन, जो भी पहले देय हो, के देय होने के बाद, प्रथम भुगतान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान उसका निष्पादन संतोषजनक रहा हो.

हानि आस्तियां

हानि आस्तियां वे आस्तियां हैं जिनमें बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण द्वारा हानि निर्धारित की गई हो. हानि आस्तियों के मामले में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया / बैंक को देय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही हो.

ख. कार्य योजनाएं एवं कार्यवाहियां

ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बैंक की निम्नानुसार सुपरिभाषित ऋण नीति, रिटेल उधार नीति, एस एम ई नीति, ऋण वसूली नीति और निवेश नीति हैं:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए ऋण सीमाएं
- ऋण प्रदान करने में उचित व्यवहार कोड
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण स्वीकृत करने के विवेकाधिकार
- ऋण प्रदान करने में शामिल कार्यवाही हैं - स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज तैयार करना, निगरानी और वसूली.
- दर निर्धारित करना

ग. ऋण जोखिम सिद्धांत, संरचना एवं बैंक की प्रणालियां निम्न प्रकार हैं:

ऋण जोखिम सिद्धांत

- आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) की आवश्यकता के अनुसार संशाधनों का लाभदायी नियोजन.
- विद्यमान ग्राहकों की उपयुक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मूल्यांकन और निगरानी मानदंडों में सामान्य दृष्टिकोण अपनाना और शीघ्र ऋण निर्णय लेने के अलावा नये ग्राहक जोड़कर ग्राहक आधार बढ़ाना.
- ऋण संविभाग के निष्पादन की निगरानी के लिए समान ऋण मूल्यांकन प्रणाली और प्रक्रिया मानक स्थापित करना और गैर निधि जोखिमों से आय में वृद्धि हेतु दिशा निदेश जारी करना.
- ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत करना तथा सामाजिक आर्थिक दायित्वों, लाभप्रदता, आस्ति क्षति के पूर्व अनुभव और रिटेल बैंकिंग पर वृहत ध्यान देकर ऋण के सेक्टर स्पष्ट रुप से निर्धारित करना.

Doubtful Assets:

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. In case of accounts, where the realizable value of security available is less than 50% of the balance outstanding / dues, these accounts would also be classified as Doubtful. Substandard and Doubtful accounts, which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets:

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues.

b. Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Retail Lending Policy, SME Policy, Loan Recovery Policy and Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors/ Industries of the economy, different types of borrowers , group and Industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- Profitable deployment of resources in line with Asset Liability Management (ALM) requirements.
- To aim at a common approach in credit appraisal and monitoring standards to meet genuine credit needs of existing clients and to enlarge client base through client acquisition besides facilitating quick and prompt credit decisions
- To set up standard and uniform credit evaluation system and procedures to monitor portfolio performance and set up guideposts to augment income from non-fund exposures
- Strengthen the credit delivery system and to clearly lay down the preferred deployment area of credit, keeping in view the socio-economic obligations, profitability, past experience of asset impairment and with greater focus on retail banking.

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

- ऋण संकेन्द्रण के मामलों पर ध्यान देना और विवेकपूर्ण ऋण जोखिम मानदंड निर्धारित करना.
- आस्तियों की उपयुक्त वृद्धि के लिये सुविविधता वाला ऋण संविभाग बनाना.
- जोखिम पहचान, माप, निगरानी एवं निवारण के लिए मानदंडों के साथ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना.
- ऋण समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराना.
- जोखिम आधारित ऋण मूल्य निर्धारण नीति स्थापित करना.
- पूर्ण सूचना के साथ ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना और ऋण मूल्यांकन और निगरानी के बारे में क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करवाना.
- सभी स्तरों पर विवेकाधिकारी प्राधिकारियों को पर्याप्त अधिकार देना.

बैंक की संरचना और प्रणाली

- बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में विशिष्ट रुप से पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की एक उप-समिति गठित की गई है.
- विभिन्न ऋण जोखिम योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसके कार्यो में उधार नीति तैयार करना तथा उद्यमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करना भी शामिल है.
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय संविदाओं, रेटिंग मानकों और बेंच मानकों के लिए मानकों कीं नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमा तक ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं.
- निदेशक मंडल / नियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों एवं विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन.
- जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास करना, ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं का पता लगाना और कमियों को ठीक करना.
- संविभाग का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर व्यापक अध्ययन करना, ऋण संविभाग पर उसके प्रभाव की जांच कराना.
- निर्धारित मानदंडों और दिशा निदेशों के पूर्ण अनुपालन के फलस्वरुप ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार.

घ. जोखिम सूचना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति / माप प्रणाली

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली तैयार की है. ऋण जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि किसी विशेष आस्ति में संभावित जोखिम की पहचान की जाये. एक सुदृढ़ आस्ति की गुणवत्ता बनायी रखी जाये और उसके साथ ही आस्ति की कीमत निर्धारण में लोच रखी जाय ताकि बैंक की समग्र योजना और ऋण नीति के अनुसार जोखिम लाभ मापदंडों की अपेक्षाएं पूरी की जाये.

बैंक की सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली आंतरिक रूप में विकसित की गई है और अपनी ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं के निर्धारण में बैंक की सहायता के लिए तैयार की गई है और इस प्रकार अपनी आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रणाली तैयार करने और उपाय आरंभ करने में सहायता करती है.

- To address issues of credit concentration and to set up prudential credit exposure norms.
- To build and maintain a well diversified portfolio for an orderly asset growth
- To set up a Credit Risk Management System with parameters for risk identification, measurement, monitoring and mitigation
- To provide for Loan Review Mechanism
- To set up a risk based Loan Pricing Policy
- To provide for dissemination of information to enable informed credit decision making at all levels and to facilitate proper training of field staff on credit appraisal and monitoring
- To provide for adequate delegation of discretionary authority at all levels.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.
- Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is developed in-house and is designed to assist the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

ङ ऋण जोखिम के परिमाणात्मक प्रकटन निम्न प्रकार हैं :

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(रू.करोड़ में) (Rs. In crore)

क्र.सं.S.No.		निधि आधारित Fund Based
(i)	कुल ऋण (निवल प्रावधान) Total credit (Net of provision)	65781.22
(ii)	अग्रिमों का भौगोलिक वितरण Geographic Distribution of Advances	
	• विदेशी Overseas	0.00
	• देशी Domestic	65781.22
(iii)	**धरेलू ऋणों का उद्योगवार वितरण. Industry type distribution of domestic exposures**	**निधि आधारित बकाया Fund Based Outstanding**
	खनन और उत्खनन (कोयला सहित) MINING & Quarrying (inc Coal)	42.30
	लोहा एवं इस्पात IRON & STEEL	3098.47
	अन्य धातुएं एवं धातु उत्पाद. OTHER METALS & METAL PRODUCTS	501.77
	सभी इंजिनीयरिंग ALL ENGINEERING	2288.37
	रूई वस्त्रउद्योग COTTON TEXTILE	1693.61
	जूट वस्त्रउद्योग JUTE TEXTILE	3.80
	अन्य वस्त्रउद्योग OTHER TEXTILES	1618.02
	चीनी SUGAR	80.13
	चाय TEA	0.77
	खाद्य संसाधन FOOD PROCESSING	999.33
	खाद्य तेल (वनस्पति सहित) VEGATABLE OILS (INCL. VANASPATI)	440.61
	कागज एवं कागज उत्पाद PAPER & PAPER PRODUCTS	404.03
	रबड, प्लास्टिक उत्पाद RUBBER, PLASTIC & PRODUCTS	280.63
	रसायन, रंग सामग्री, पेंट एवं औषधीय जिसमें से CHEMICALS, DYES, PAINTS & PHARMACEUTICALS of which:	1631.05
	• खाद FERTILIZERS	249.09
	• पेट्रो-रसायन PETRO-CHEMICALS	856.97
	• औषध एवं फार्मस्यूटिकल्स DRUGS & PHARMACEUTICALS	282.72
	सीमेंट CEMENT	589.52
	लेदर एवं लेदर उत्पाद LEATHER & LEATHER PRODUCTS	371.61
	जेम एवं ज्वेल्लरी GEMS & JEWELLERY	630.37
	निर्माण CONSTRUCTION	280.75
	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन PETROLEUM, COAL PRODUCTS AND NUCLEAR FUELS	148.00
	वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण VEHICLES, VEHICLES PARTS & TRANSPORT EQUIPMENTS	183.26
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE	201.94
	बुनियादी सुविधाओं के लिए, जिनमें से INFRASTRUCTURE of which:	13398.45
	• विद्युत POWER	10275.84
	• दूर संचार TELECOMMUNICATIONS	1039.26
	• रोड एवं पोर्ट ROADS & PORTS	770.87
	• अन्य बुनियादी सुविधाएंOTHER INFRASTRUCTURE	1312.48
	एन.बी.एफ.सी NBFC	6961.05
	व्यापार TRADING	3102.44
	पेय एवं तम्बाकू BEVERAGE & TOBACCO	0.88
	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद WOOD & WOOD PRODUCTS	42.81
	अन्य उद्योग OTHER INDUSTRIES	2505.12

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

च. आस्तियों के खराबी की स्थिति में अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता

f. Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets

(₹ करोड़ में) (Rs. In crore)

परिपक्वता स्वरुप Maturity Pattern	अग्रिम Advances	निवेश Investments	विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets
1 दिन (अगला दिन) 1 day (next day)	3061.20	0.00	597.28
2 से 7 दिन 2 to 7 days	765.74	3904.47	21.03
8 से 14 दिन 8 to 14 days	1103.71	197.73	25.36
15 से 28 दिन 15 to 28 days	581.80	24.52	57.50
29 दिन और 3 महीने तक 29 days and up to 3 months	4368.28	615.15	316.10
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक Over 3 months & up to 6 months	4101.30	293.63	1594.77
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	4178.11	446.23	167.76
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षो तक Over 1 year & up to 3 years	37189.14	2705.17	1.95
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5141.24	5292.25	0.00
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	5290.70	20863.94	0.08
कुल Total	**65781.22**	**34343.10**	**2781.84**

ज. गैर-निष्पादक अग्रिम एवं निवेश के संबंध में प्रकटन :

g. Disclosures in respect of Non-performing Advances and Investments:

(क) सकल एन.पी.ए:

(a) Gross NPA:

श्रेणी Category	₹ करोड़ में (₹ In Crore)
उप मानक Sub Standard	694.44
संदिग्ध - 1 Doubtful - 1	362.79
संदिग्ध - 2 Doubtful - 2	189.34
संदिग्ध - 3 Doubtful - 3	91.72
हानि Loss	114.16
कुल एन.पी.ए Total NPA	**1452.45**

(ख) निवल एन.पी.ए की रकम ₹ 917.18 करोड़ है.

(b) The amount of net NPA is ₹ 917.18 Crore

(ग) एन.पी.ए अनुपात निम्न प्रकार है :

(c) The NPA ratios are as under:

- सकल अग्रिमों में सकल एन.पी.ए Gross NPAs to Gross Advances - 2.19%
- निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए Net NPAs to Net Advances - 1.39 %

(घ) कुल एन.पी.ए में उतार चढाव निम्न प्रकार हैं:

(d) The movement of gross NPAs is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	₹ करोड़ में ₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	956.50
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1119.79
(iii)	वर्ष के दौरान घटा Reduction during the year	623.84
(iv)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	1452.45

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

(ङ) एन.पी.ए. के प्रावधान में उतार चढाव इस प्रकार है:

(e) The movement of provision for NPA is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	₹ करोड़ में ₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	382.45
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	373.33
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते. Write-off made during the year	237.27
(iv)	वर्ष के दौरान वापस लिए गए अधिक प्रावधान Write-back of excess provisions made during the year	-
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	518.51

(च) गैर निष्पादक निवेशों की रकम ₹ 102.81 करोड़ है.

(छ) गैर निष्पादक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की रकम ₹ 102.81 करोड़ है.

(ज) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में उतार चढाव इस प्रकार है :

(g) The amount of non-performing investments is ₹ 102.81 crore.

(h) The amount of provisions held for non-performing investments is ₹ 102.81 crore

(i) The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

क्रम सं. Sl.No.	विवरण Particulars	₹ करोड़ में ₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	180.15
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	53.17
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते Write-off made during the year	0.00
(iv)	एच टी एम में अंतरित ए एफ एस / एच एफ टी के अंतर्गत निवेश का बही मूल्य घटाकर समायोजित मूल्यहास. Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/ HFT category shifted to HTM	-28.99
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	204.33

5. ऋण जोखिम : स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार संविभाग का प्रकटन :

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अंतर्गत बैंक, घरेलू ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ई.सी.ए.आई. (विदेशी ऋण निर्धारण संस्थान) जैसे सी.ए.आर.ई. (केयर) सी.आर.आई.एस.आई.एल. (क्रिसिल), इंडिया रेटिंग एवं आई.सी.आर.ए. की रेटिंग स्वीकार करता है. विदेशी ऋणों के लिए बैंक स्टेडर्ड एण्ड पुअर एवं मूडी की रेटिंग स्वीकार करता है.

बैंक बडे कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ई.सी.ए.आई. (बाहरी साख मूल्यांकन संस्थान) से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा जहां कहीं इनकी रेटिंग उपलब्ध होती हैं, उनका उपयोग जोखिम वाली आस्तियों की रेटिंग के लिए करता है.

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार जोखिम कम करने के बाद जोखिम धारित आस्तियां निम्नलिखित प्रमुख तीन जोखिम श्रेणियों में निम्न अनुसार हैं :

Table DF- 5: Credit risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach

Under Standardized Approach, the bank accepts rating of all RBI recognised ECRAs (External Credit Rating Agencies) namely CARE, CRISIL, India Rating,ICRA, Brickwork and SMERA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Ind as per RBI guidelines.

The bank encourages large corporate borrowers to solicit ratings from RBI approves ECAI (External Credit Assessment Institutions) and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

The risk weighted assets after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

(i) निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण :

(i) Fund based & Non-Fund based exposures:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

	निधि आधारित ऋण Fund based Exposures	गैर निधि आधारित ऋण Non- Fund based Exposures
सीआरएम के समक्ष Against CRM	**3839.64**	**978.35**
100% से कम At below 100%	36162.30	2076.36
100% की दर पर At 100%	18143.53	4066.63
100% से अधिक की दर पर At more than 100%	8311.41	1817.27

टेबल डी एफ- 6. ऋण जोखिम घटाना :स्टेंडर्डाइज अप्रोच के लिए प्रकटन

बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जिसे संपार्श्विक प्रतिभूति भी कहा जा सकता है) प्राप्त करता है. सामान्यत: निम्न प्रकार की प्रतिभूतियां (चाहे वह प्राथमिक प्रतिभूति हो या सपार्श्विक प्रतिभूति) ली जाती हैं :

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि.
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी.
3. बैंक की अपनी जमा राशियां.
4. एन.एस.सी, आई.वी.पी., के.वी.पी., सरकारी बांड, भारतीय रिजर्व बैंक के बांड, जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां आदि.
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं पर नकद मार्जिन.
6. स्वर्ण आभूषण.
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर.

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए बैंक के पास सुनिर्धारित पॉलिसी है. ऋण नीति के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियां जो बैंक को प्रभारित की गई हैं जैसे अचल आस्तियां का मूल्यांकन, तीन वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये ।

बैंक के ऋण जोखिम पर मुख्य प्रकार के गारंटर इस प्रकार हैं :

- व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटी)
- कॉर्पोरेट
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- ई.सी.जी.सी.
- सी.जी.एफ.टी.एस

सी.आर.एम. संपार्श्विक प्रतिभूतियां अधिकांशत: बैंक की अपनी जमाओं पर तथा सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा निगम पॉलिसी पर ऋणों के लिए उपलब्ध हैं. सी.आर.एम प्रतिभूतियां गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों एवं साख पत्रों के लिए भी ली जाती हैं.

बैंक के ऋणों के लिए सी.आर.एम के रूप में पात्र गारंटीकर्ता (बेसल II) के अनुसार मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी., सी.जी.एफ.टी.एस हैं.

दिनांक 31.03.2013 को बकाया ऋणों में से कटौती के लिए पात्र कुल अस्थिरता समायोजित ऋण जोखिम मिटिगंट ₹ 4865.68 करोड हैं.

Table DF- 6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as non-fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid down policy on valuation of securities charged to the bank . According to Loan policy, Valuation of collateral securities such as immovable properties charged to Bank should be taken once in three years.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGFTS

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies. CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGFTS.

The total volatility adjusted Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the outstanding exposures as on 31.03.2013 are ₹ 4865.68 Crore.

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

टेबल डीएफ-7 प्रतिभूतिकरण ऋण : स्टेंडर्डाइजड अप्रोच के लिए प्रकटीकरण

दिनांक 31 मार्च,2013 को बैंक के पास अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है ।

टेबल डीएफ-8 : . व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को बाजार कीमत में हो रही प्रतिकूल गतिविधियों से होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है. निम्नलिखित जोखिमों को बाजार जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया है :

- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- कीमत जोखिम

उपर्युक्त जोखिमों के प्रबंधन के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं जैसे कुल निपटान सीमाएं, हानि रोकने की सीमा तथा जोखिम मूल्य सीमाएं निर्धारित की हैं. जोखिम सीमाएं, खुले बाजार की स्थितियों के जोखिमों को नियंत्रित करती हैं. ऋण हानि रोकने की सीमा, हुई एवं होनेवाली हानियों को भी शामिल करता है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हेतु बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए स्टेंडर्डाइजड ड्यूरेशन अप्रोच नामक उचित प्रणाली अपनायी है. इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम वाली आस्तियों में अंतरित किया जाता है.

दिनांक 31 मार्च 2013 को बाजार जोखिम (स्टेंडर्डाइजड ड्यूरेशन अप्रोच के अनुसार) पर पूंजी प्रभार निम्न प्रकार है :

Table DF- 7: Securitisation Expsoures: Disclosure for Standardised Approach

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2013.

Table DF- 8: Market risk in Trading Book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

In order to manage above risks, Bank's Board of Directors have laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, controls the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes into account realized and unrealized losses. Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Book as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets.

Capital charge on Market Risk (Standardised Duration Approach) as on 31st March 2013 is as under:

क्रम सं. Sl. No.	जोखिम श्रेणी Risk Category	रकम (₹करोड़ में) Amount (₹ In crore)
I	**ब्याज दर (ए+बी) Interest Rate (a+b)**	
क a	**साधारण बाजार जोखिम General market risk**	**466.76**
(i)	निवल स्थिति Net Position	**393.33**
(ii)	हॉरिजॉंटल अस्वीकृति Horizontal disallowance	0.00
(iii)	वेर्टिकल अस्वीकृति Vertical disallowance	0.00
(iv)	विकल्प Options	0.00
ख b	**विशिष्ट जोखिम Specific Risk**	**73.43**
II	**इक्विटी जोखिम (क +ख) Equity Risk (a+b)**	**28.25**
a.	साधारण बाजार जोखिम General market risk	14.13
b.	विशिष्ट जोखिम Specific risk	14.12
III	**विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)** **Foreign Exchange Risk (including Gold)**	**4.50**
IV	**स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच (I+II+III) के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार** **Total capital charge for market risks under Standardised duration approach (I + II+III)**	**499.51**

बेसल - II प्रकटीकरण Basel II Disclosures

टेबल डीएफ-9: परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के आधार पर, बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताओं के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच अपनाया है. दिनांक 31 मार्च 2013 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम वाली आस्ति ₹ 3643.84 करोड़ थी.

टेबल डीएफ-10: . बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

ब्याज दर जोखिम की दो दृष्टिकोणों से माप एवं निगरानी की जाती है.

जोखिम पर आय (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण) (अल्पावधि) :

इस अप्रोच के अंतर्गत बैंक की निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के तुरंत प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

(i) विभिन्न वातावरणों में जोखिम में आय अर्जन का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है :

1) **आय कर्व जोखिम :** आस्तियों तथा देयताओं के लिए नीचे की ओर 0.50% परिवर्तन माना जाता है. इस वातावरण में ब्याज दर में 50 आधार अंकों की गिरावट से अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज आय पर ₹ 112.75 करोड़ का प्रतिकूल प्रभाव पडेगा.

2) दूसरे वातावरण में, जिसमें दरें निवेश और जमाओं के लिए, अग्रिम संविभाग के लिए नहीं, 50 आधार अंक बढ़ाई जाती हैं. इस वातावरण में यदि ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की गिरावट आती है तो बैंक की निवल ब्याज आय पर ₹ 79.35 करोड का सकारात्मक प्रभाव होगा.

(ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अंतराल विश्लेषण) (दीर्घावधि)

क. ईक्विटी का आर्थिक मूल्य ज्ञात करने हेतु ईक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों तथा देयताओं की संशोधित अवधि की गणना की जाती है. ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के असर के प्रभाव का विश्लेषण अवधि अंतराल पद्धति से घरेलू परिचालनों के लिए नियमित अंतरालों पर 100 आधार अंकों की दर पर कम करके किया जाता है.

ख. ब्याज दरों में 100 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2013 को ₹ 587.70 करोड़ है.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल II दिशानिदेशों का अनुपालन किया है जिसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, प्रकटन आवश्यकता शामिल हैं. कारोबार के दौरान बैंक ने शामिल जोखिम को निर्धारित करने, उसके प्रभाव को मापने, उसे कम करने की तकनीक अपनाने/ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय कम करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की हैं. आगे ऐसे जोखिमों की निगरानी और उनको कम करने का कार्य निरंतर आधार पर जारी रहेगा.

Table DF- 9: Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Risk Weight Assets for the Operational Risk as at 31st March 2013 is at ₹ 3643.84 Crore.

Table DF- 10: Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis)(Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach

i. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios as under :

1. **Yield curve risk**: A parallel downward shift of 0.50% is assumed for assets as well as liabilities. In this scenario, a fall in interest rates by 50 basis points will impact NII for the next year by ₹ 112.75 crore.
2. In the second scenario where the rates are shocked down by 50 bps for investments and deposits and not for advances portfolio. In this scenario, if interest rates fall by 50 basis points, the Bank's NII will be impacted favourably by ₹ 79.35 crore.

ii Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term) :

a. Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 100 bps rate shock at regular intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

b. The net impact on Net Worth of the bank against 100 bps downward movement in interest rates is ₹ 587.70 Crore as on 31.03.2013 for domestic operations.

The Bank has thus complied with the Basel II guidelines issued by the Reserve Bank of India including maintenance of minimum capital requirements, disclosure requirements. In the course of its business, Bank has set in place systems & procedures to identify the risks involved, measure the impact thereof, adhere to mitigation techniques / take necessary steps to mitigate such risks. Further, monitoring of such risks and mitigation thereof is done on an on-going basis.